न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 63/2020
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2020/00120

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा		1.श्रीमति मृगकंवर पत्नि भंवरसिंह कौम राजपुरोहित निवासी बालोतरा 2.श्रीमति विमलादेवी पत्नि कानराज जाति ओसवाल निवासी बालोतरा 3.श्री मनोज मितल,मै.टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. प्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार
2. श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. विप्रार्थी संख्या 03 अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 16.02.2026

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पचपदरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 321 रकबा 24.00 बीघा भूमि विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की है। विप्रार्थी की ओर से कृषि भूमि का बिना विधि विहित संपरिवर्तन की कार्रवाई करवाये अवैध रूप से मौके पर सीमेन्ट ईटट की चारदीवारी,प्लेटफार्म,समूह शौचालय का निर्माण कार्य किया गया है। इस प्रकार कृषि भूमि का अकृषि उपयोग लेकर विप्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंधन किया गया है। अतः प्रार्थी ने ग्राम पचपदरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 321 रकबा 24.00 बीघा भूमि से विप्रार्थी की खातेदारी समाप्त कर उक्त भूमि राजकीय खातें में दर्ज करवानें हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री रूगाराम कड़वासरा द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रार्थी के आवेदन पत्र के तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाव पेश कर प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 3 वावजूद सूचना के अनुपस्थित रहें। विवादित भूमि की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई,जो पत्रावली शामिल मिसल है।

3.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम पचपदरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 321 रकवा 24.00 बीघा भूमि विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की है। उक्त भूमि का विना विधि विहित संपरिवर्तन की कार्रवाई करवाये विप्रार्थी ने अवैध रूप से मौके पर सीमेन्ट ईटट की चारदीवारी,प्लेटफार्म,समूह शौचालय का निर्माण कार्य किया गया है। इस प्रकार कृषि भूमि का अकृषि उपयोग लेकर विप्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंधन किया गया है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया कि कृषि भूमि का बिना सम्परिवर्तन करवाये अकृषि कार्य में उपयोग लिया जाता है,तो अकृषि कार्य में उपयोग ली जानी वाली भूमि खालसा सरकार होकर राज.सरकार के खाते में इन्द्राज करने का प्रावधान है और वादग्रस्त भूमि का भी विप्रार्थी द्वारा अकृषि कार्य में उपयोग लिए जाने के कारण राज.सरकार खालसा धोषित की जावें।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जिसमें सफलता मिलने की रति भर भी गुजाईश नहीं है। क्योंकि विप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नही किया गया है और न ही मौके पर प्रश्नगत भूमि पर विप्रार्थी द्वारा अवैध निर्माण कार्य किया गया है जबकि विप्रार्थी विवादित भूमि मे से कुछ हिस्से भूमि को अकृषि कार्य में लेने के लिए पत्थर डाले गए थे तथा उक्त हिस्सा भूमि को सम्परिवर्तन करवाने के लिए सरचार्ज दिनांक 09.7.2020 को जरिए चालान राशि–21000/–जमा भी करवा चुके थे,शेष राशि नियमानुसार जमा करवाने के लिए तैयार भी है। इसी दौरान मनगढन्त तथ्यो के आधार पर हल्का पटवारी द्वांरा विवादित भूमि की फर्द मौका बनाकर प्रकरण तैयार करवा दिया,जबकि विप्रार्थी द्वारा धरातल पर ऐसा कोई अवैध कार्य नही किया गया है। प्रश्नगत भूमि विप्रार्थी की खातेदारी मालिकाना स्वामित्व की भूमि है। जिसमें विप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अकृषि कार्य नही किया गया है। विप्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की किसी प्रकार से अवहेलना नही की है और न ही विप्रार्थी ने किसी प्रकार का अकृषि कार्य ही किया है,अलावा इसके वर्तमान प्रकरण में प्रस्तुत तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट में विवादित आराजी पर

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अकृषि कार्य होना नही पाया गया है,जिससे स्पष्ट है कि मौके पर विप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। विप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर विधि के सुस्थापित सिद्वातो के विपरीत किसी प्रकार का कार्य नही किया जा रहा है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रकरण निरर्थक तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रश्नगत भूमि विप्रार्थी के मालिकाना स्वामित्व की भूमि है,जिससे विप्रार्थी की खातेदारी समाप्त करने से विप्रार्थी को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी। जिसका मूल्याकंन मुद्रा या अर्थ में करना सम्भव नही होगा। अतं में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे।

5.हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात व मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से वादग्रस्त भूमि मौजा पचपदरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 321 रकबा 24.00 बीघा भूमि पर बिना विधि विहित संपरिवर्तन की कार्रवाई करवाए विप्रार्थी द्वारा अकृषि कार्य किए जाने के कारण उक्त विवादित भूमि खालसा सरकार घोषित की जावें। विवादित भूमि के विप्रार्थी संख्या 1 व 2 सहखातेदार है। प्रार्थी की ओर से मौका फर्द दिनांक 19.6.2020 जो हल्का पटवारी पचपदरा व भू अभिलेख निरीक्षक पचपदरा द्वारा तैयार की गई थी,जिसमें कृषि भूमि पर विप्रार्थी द्वारा अवैध निर्माण बिना विहित संपरिवर्तन करवाए किए जाने की रिपोर्ट के आधार पर विषयक प्रकरण बनाकर भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा द्वारा पेश किया गया। उक्त मौका फर्द अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमिधारक स्वंय की उपस्थिति में मौका निरीक्षण नही किया गया है। इस प्रकार उक्त मौका फर्द को आधार मानकर भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत विषयक प्रकरण धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत नही बनता है। विषयक भूमि के संबध में तहसीलदार पचपदरा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट अनुसार विवादित भूमि पर कोई भी प्रकार का टीनरोड़,कार्यालय वर्कशाप इत्यादि नहीं बने हुए है। वर्तमान मे भूमि खाली है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अकृषि कार्य नहीं हुआ है,जो कि भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.2.2026 में स्वीकार किया है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन चलने योग्य नही है।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी का आवेदन साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि यदि भविष्य में विवादित आराजी पर बिना सम्परिवर्तन करवाए अकृषि कार्य किया जाता है,तो विधि में निहित प्रावधानों के तहत नया आवेदन पत्र पेश करने में स्वतंत्र रहेगे।

(अशोक कुमार) 16/02/26
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 16/02/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

16/02/26
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा